न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 62 / 2021 **दायर दिनांक :—12.03.2021**

उनवान

1. पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पत्नि बाबूलाल जाति धाकड़
2. सन्तोष आयु 58 वर्ष पत्नि सूरजमल जाति धाकड़ निवासीगण गोरधनपुरा पो0 ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीयागण

बनाम

1. किशनचन्द आयु 54 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. गोबरीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि हरिशंकर जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. चन्द्रमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. भरोसीबाई पुत्री कजोड़ जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. मुकनेशबाई आयु 48 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि रामबिलास जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी टाकर वाड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
6. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां जिला बारां (राज0)
8. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 48 आर0टी0एक्ट0

बाबत् भूमि का विनिमय (अदला–बदली)

उपस्थिति :–

वादियागण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 30/05/2022

पत्रावली पेश हुई। वादियागण ने वाद अन्तर्गत धारा 48 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल छजावा तह0 अटरू जिला बारां में खाता संख्या 387 के ख0न0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2, ख0न0 44 का रकबा 1.06 है0 माल–2, ख0न0 79 का रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी–2, ख0न0 92 का रकबा 0.40 है0 माल–2 कुल किता 4 का रकबा 3.45 है0 आराजी वादीयागण के दर्ज खाता चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न हैं। वाके ग्राम एवं माल छजावा के खाता संख्या 36 के ख0न0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2, ख0न0 16 का रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, कुल किता 2 का रकबा 1.90 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न हैं। वादीयागण के स्वामित्व की खाता संख्या 387 के ख0न0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की अन्य आराजी के लगवा स्थित हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व की खाता संख्या 36 के ख0न0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 वादीयागण की अन्य आराजी के लगवा स्थित हैं। इसलिए वादीयागण व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 आराजी की अदला–बदली करना चाहते हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित वादीयागण व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के स्वामित्व की आराजी जिसकी अदला–बदली करना चाहते हैं रकबे में लगभग समान हैं तथा किस्म भी समान हैं व राज लगान भी लगभग समान हैं। इसलिए वादीयागण के स्वामित्व की खाता संख्या 387 के ख0न0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2 की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के खाते दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व की खाता संख्या 36 के ख0न0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 की आराजी वादीयागण के खाते दर्ज की जावें जिसके लिए दोंनो पक्षकार सहमत हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी की अदला–बदली (विनिमय) बिना माननीय न्यायालय की

सहायता के सम्भव नहीं हैं अगर आराजी की अदला–बदली नहीं की गई तो वादीयागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा वादीयागण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होंगी तथा वादीयागण को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादीयागण वाद पेश कर निवेदन करती हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 पारित की जावें कि वादीयागण के स्वामित्व की खाता संख्या 387 के ख0न0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2 की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के खाते दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व की खाता संख्या 36 के ख0न0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 की आराजी वादीयागण के खाते दर्ज की जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीया क्रम 1 पुष्पाबाई ने प्रतिवादी क्रम 6 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू व वादीया क्रम 2 सन्तोष ने प्रतिवादी क्रम 7 बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बारां से के0सी0सी0 ऋण ले रखा हैं एवं प्रतिवादी क्रम 3 चन्द्रमोहन ने प्रतिवादी क्रम 8 स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू से के0सी0सी0 ऋण ले रखा हैं। इसलिए बैंको को प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 8 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। बैंक के ऋण का नोट बाद आराजी अदला–बदली सम्बन्धित खातेदार के खाते की आराजी पर अंकित किया जावें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद आराजी अदला–बदली का होने के कारण तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 9 को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पत्र पेश किया गया हैं। वाद कारण दिनांक 20/02/2020 को वादीयागण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आराजी अदला–बदली का प्रार्थना पत्र देने पर तथा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वादीयागण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करती हैं कि डिक्री बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 निम्न आशय की पारित की जावें कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादीयागण के स्वामित्व की खाता संख्या 387 के ख0न0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2 की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के खाते दर्ज की जावें तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व की खाता संख्या 36 के ख0न0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 की आराजी वादीयागण के खाते दर्ज की जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीयागण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 6 ता 9 को सम्मन की तलवी हो चुकी लेकिन बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि उनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के मध्य इस प्रकार राजीनामा हो गया है कि ग्राम व माल छजावा की खाता संख्या 387 के ख0नं0 177 का रकबा 1.82 है0 माल–2 की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ल 5 के खाते दर्ज की जावे तथा ग्राम व माल छजावा की खाता संख्या 36 के ख0नं0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 की आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे इस बात का वादीगण व प्रति0 क्रम 1 ल 5 के मध्य राजीनामा हो गया है जिसे तस्दीक कर पर्चा डिक्री जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल दराज की जाने की कृपा करे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगा0 5 की पहचान श्री लोकेश कुमार गुर्जर एड. द्वारा की गई राजीनामा तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां की संवत 2074–2077 की जमाबन्दी के खाता संख्या 387 के ख0नं0 177 का रकबा 1.82 है0 किस्म माल–2 की आराजी

वादीयागण पुष्पाबाई पत्नि बाबूलाल व सन्तोष पत्नि सूरजमल के खाते दर्ज है तथा ग्राम व माल छजावा की खाता संख्या 36 के ख0नं0 124 का रकबा 1.89 है0 माल–2 आराजी किशनचन्द, गोबरीबाई, चन्द्रमोहन, मुकनेश बाई पुत्र/पुत्री छीतरलाल तथा भरोसीबाई पुत्री कजोड के दर्ज खाता स्थित है। वादियागण एवं प्रतिवादी कम 1 लगा. 5 आपसी सहमति से आराजी बदलने हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर ऑर्डर शीट पर सहमती हस्ताक्षर किये। वादीगण ने ग्राम छजावा के ख0नं0 177 रकबा 1.82 है0 पर प्रतिवादी कम 6 सीबीआई बैंक व प्रतिवादी कम 7 बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक बारां से कृषि ऋण ले रखा है इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 ता 5 में से प्रतिवादी कम 3 चन्द्रमोहन पुत्र छीतरलाल ने अपने 1/8 हिस्से पर एस.बी.आई बैंक से कृषि ऋण ले रखा है। अतः ख0नं0 177 रकबा 1.82 है0 में प्रतिवादी कम 3 का 1/8 हिस्सा एस.बी. आई अटरू के पक्ष में और खाता संख्या 124 रकबा 1.89 है0 भूमि में से वादी कम 1 का 1/2 भाग सीबीआई बैंक अटरू एवं वादी कम 2 का 1/2 हिस्सा बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां के पक्ष में रहन दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः न्यायहित में वादियागण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादियागण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 387 के ख0नं0 177 का रकबा 1.82 है0 आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 किशनचन्द, गोबरीबाई, चन्द्रमोहन, मुकनेश बाई पुत्र/पुत्री छीतरलाल तथा भरोसीबाई पुत्री कजोड को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ग्राम व माल छजावा की खाता संख्या 36 के ख0नं0 124 का रकबा 1.89 है0 आराजी पर वादीयागण पुष्पाबाई पत्नि बाबूलाल व सन्तोष पत्नि सूरजमल को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम छजावा के ख0नं0 177 रकबा 1.82 है0 में प्रतिवादी कम 3 चन्द्रमोहन पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ का 1/8 हिस्सा एस.बी.आई अटरू के पक्ष में और खाता संख्या 124 रकबा 1.89 है0 भूमि में से वादी कम 1 पुष्पा बाई पत्नि बाबूलाल का 1/2 भाग सीबीआई बैंक अटरू एवं वादी कम 2 संतोष पत्नि सूरजमल का 1/2 हिस्सा बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां के

पक्ष में रहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सम्बन्धित बैंक में जाकर उक्तानुसार कृषि ऋण खाते में संशोधन करवाकर रहन का नोट दर्ज करावे। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार रहन का नोट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 62/2021

उनवान

1. पुष्पाबाई आयु 55 वर्ष पत्नि बाबूलाल जाति धाकड़
2. सन्तोष आयु 58 वर्ष पत्नि सूरजमल जाति धाकड़ निवासीगण गोरधनपुरा पो0 ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीयागण

बनाम

1. किशनचन्द आयु 54 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. गोबरीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि हरिशंकर जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. चन्द्रमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
4. भरोसीबाई पुत्री कजोड़ जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा पो0 ढ़ोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. मुकनेशबाई आयु 48 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि रामबिलास जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी टाकर वाड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
6. शाखा प्रबन्धक महोदय सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक महोदय बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां जिला बारां (राज0)
8. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू जिला बारां (राज0)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 48 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>बाबत् भूमि का विनिमय (अदला–बदली)</u>

उपस्थिति :–

वादियागण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 387 के ख0नं0 177 का रकबा 1.82 है0 आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 किशनचन्द, गोबरीबाई, चन्द्रमोहन, मुकनेश बाई पुत्र/पुत्री छीतरलाल तथा भरोसीबाई पुत्री कजोड को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक

घोषित किया जाता है तथा ग्राम व माल छजावा की खाता संख्या 36 के ख0नं0 124 का रकबा 1.89 है0 आराजी पर वादीयागण पुष्पाबाई पत्नि बाबूलाल व सन्तोष पत्नि सूरजमल को हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम छजावा के ख0नं0 177 रकबा 1.82 है0 में प्रतिवादी क्रम 3 चन्द्रमोहन पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ का 1/8 हिस्सा एस.बी.आई अटरू के पक्ष में और खाता संख्या 124 रकबा 1.89 है0 भूमि में से वादी क्रम 1 पुष्पा बाई पत्नि बाबूलाल का 1/2 भाग सीबीआई बैंक अटरू एवं वादी क्रम 2 संतोष पत्नि सूरजमल का 1/2 हिस्सा बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा दीनदयाल पार्क बारां के पक्ष में रहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सम्बन्धित बैंक में जाकर उक्तानुसार कृषि ऋण खाते में संशोधन करवाकर रहन का नोट दर्ज करावे। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार रहन का नोट दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग........................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)